[Shri Nawal Kishore Sharma]

recommendations contained in their Fifty-fifth Report on Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd.

(2) Seventy-first Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Fiftieth Report on Fertilizer Corporation of India Ltd. (Marketing and Distribution).

(3) Seventy-second Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Fortieth Report on Role and Achievements of Public Undertakings.

11.04 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Hundred and Seventy-ninth Report

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North-East): I beg to present the Hundred and Seventy-ninth Report of the Public Accounts Committee on Paragraph 32 of the Report of Comptroller and Auditor General of India for the year 1972-73, Union Government (Civil) relating to Production of Polio Virus Vaccine (Department of Health).

11.05 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): I beg to move:*

"That the Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, be taken into consideration".

This Bill is to enable the Agricultural Refinance Corporation to step up its promotional activities and to play a developmental role in a more effective manner in future. The proposed amendments would remove the inadequacies in the Act for enabling the Corporation to play the role envisaged for the ARC in the agricultural development of the country during the Fifth Plan and after.

As the House is aware the Agricultural Refinance Corporation was established under the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, to augment the resources available for the provision of medium-term and long-term finance for agriculture. The Reserve Bank of India, the State Co-operative Banks, Central Land Development Banks, scheduled commercial banks and the Life Insurance Corporation of India are the main shareholders. Of these, the State Co-operative Banks, Central Land Development Banks and scheduled commercial banks are in the institutions eligible for refinance facilities from the Corporation.

The Corporation raises its funds by way of (i) share capital from its members, (ii) loans from the Central Government, (iii) borrowings from the open market by issue of bonds, (iv) loans from the Reserve Bank of India's National Agricultural Credit (Long-term operations) Fund and (v) temporary borrowings from the Reserve Bank of India.

Besides the considerable expansion in the business operations of the Corporation during the Fourth Plan period, certain other important changes in its working have also taken place during this period. In the initial years, while it provided assistance covering mainly schemes on land development and minor irrigation, a deliberate attempt was made in these years to diversify its activities by providing assistance for schemes covering hitherto unconventional fields of agricultural activities like dairies, fisheries, warehousing, etc. In these years the Corporation also undertook

*Moved with the recommendation of the President.

an active promotional and developmental role which helped in development of areas which lagged behind for certain historical reasons by setting up of two Technical Consultancy Service Centres at Lucknow and Calcutta to assist the State Governments to identify and formulate agricultural development schemes eligible for refinance from the Corporation. This role would need to be further emphasised and reflected in the Agricultural Refinance Corporation Act.

The Working Group on agricultural credit for the Fifth Plan has envisaged a large lending programme of over Rs. 600 crores for the Agricultural Refinance Corporation. This programme has been envisaged with the expectation that the Corporation would penetrate into such areas which have hitherto remained largely unexploited and provide finance for diversified types of schemes. The International Development Association has since sanctioned a direct line of credit for the Agricultural Refinance Corporation during the Fifth Plan to the tune of $75 million.

The National Commission on Agriculture, in its Interim Report on "Production Forestry—Man-made forests" referred to the need for setting up Forest Corporations by the State Governments and suggested that the Agricultural Refinance Corporation should come forward to advance long-term loans directly to them. The existing law does not provide for direct lending to such corporations/bodies. In this context, it has become necessary to further amend the ARC Act, 1963. The proposed amendment could be broadly classified under three categories, financial, administrative and routine.

With a view to highlighting the developmental role of the activities of the Corporation, the names of the Act and the Corporation are proposed to be "The Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963" and the "Agricultural Refinance and Development Corporation".

Keeping in view the recommendations of the National Commission on Agriculture in their interim report on "Production Forestry—Man-made forests", for setting up forestry corporations and also meeting the requirements of Command Area Development Authorities etc., it is proposed to enlarge the scope of definition of eligible institutions" by adding a new sub-clause to sec. 2(f) of the ARC Act, 1963, permitting such institutions to *directly* borrow from the ARC.

In view of the growing business operations of the Corporation and to meet the increased need for funds during the Fifth Plan period, the Corporation is required to create additional resources by augmenting its own funds which in turn would also help mobilisation of funds. For this, the authorised capital would need to be increased. As against the limit of Rs. 25 crores provided in the existing provision, the Corporation has already raised share capital to the extent of Rs. 20 crores. It is, therefore, proposed to amend sec. 5 of the Act and fix a limit of authorised capital at Rs. 100 crores.

At present, there is no provision for accepting grants, gifts, donations or benefactions by the Corporation. It is proposed to amend sec. 20 of the Act to allow the Corporation to receive sums from Central/State Governments etc. by way of loans converted into grants, subsidies for concessional rate of interest, grants for specific purposes etc. The amendment is proposed to be made on the analogy of similar provisions in the Industrial Development Bank of India Act and Unit Trust of India Act.

Under the existing provisions, the ARC is primarily a refinancing agency for meeting the long-term credit needs of eligible institutions. Through the proposed amendment in the pro-

[Smt. Sushila Rohatgi]

visions contained in Section 22(5), it is now sought to permit the Corporation to provide working capital loans also in special cases. It is, however, proposed to be done on a selective basis in respect of composite schemes where working capital loans is to be given in conjunction with long-term loans. The intention is to cover cases where the Corporation has to provide funds for purchase of inventories which will ultimately form part of capital investment envisaged under such schemes.

There are other miscellaneous amendments intended to rationalise or clarify the existing provisions in the Act.

I would like to point out, before I conclude, that it is necessary to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 along the lines suggested, to facilitate the expansion of business of the Corporation, giving it more the character of a developmental and promotional bank, to remove certain inadequacies in the existing legislation so as to make it up-to-date with recent developments in the Co-operative and commercial banking sectors, and to provide for certain delegation of powers for more expeditious disposal of loan proposals.

Sir, I move.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, be taken into consideration."

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): Sir, I fully support this Bill moved by the Deputy Finance Minister because the objects of the Bill are laudable. The Bill seeks to emphasise the developmental and promotional role of the Agricultural Refinance Corporation. Also it seeks to enlarge the scope of eligibility of certain institutions to seek direct finance from the Agricultural Refinance Corporation. Sir, besides these, there are provision by which the Reserve Bank of India would enhance its authorised capital to Rs. 100.0 crores. These are all the objects which nobody would consider bad. These are good. But, Sir, I think, when we amend this Bill, we have to briefly try to assess what was the impact of the work so far rendered by the Agricultural Refinance Corporation. Sir, this Corporation had undertaken so many schemes during the last 13 years of its existence and its achievements are not in anyway small. In the 10th Report submitted in 1973, it is stated that they had to irrigate 5.3 lakhs of hectares of land utilising mostly ground water resources. They have had to set up 97,000 tube-wells, 1,09,000 wells were dug and 2,12,000 pump sets were installed and in the 11th Report it is stated that they had improved the position by spending more money. They have spent nearly Rs. 92.0 crores.

We are now implementing the fifth plan. The hon minister said, the proposal is to spend Rs. 800 crores through this corporation during this period. But she might have forgotten the fact that Rs. 900 crores were visualised before. Rs. 100 crores might have been cut. The annual rate of increase of agricultural production which is only 3 per cent now is visualised to go upto 5 per cent in the fifth plan. Taking all these into account, I submit that the corporation should render meaningful service to increase the rate of agricultural production and help those sectors of people who are weak in the agrarian sector. There lies the failure of the corporation.

The corporation has broadly failed in three ways. Its major failure, as is clear from the reports presented so far including the latest one in February, is in helping the backward areas of the country. I hope people from West Bengal, Nagaland, Orissa and Bihar would speak about the callous

indifference shown by the corporation to their areas, which are industrially, agriculturally and educationally backward and are a heavy weight on the economy of the country. Another criticism has been that the money spent by the corporation, running to hundreds of crores in the last 13 years, has been conveniently cornered by big landlords. There was a national sample survey report on spending by public financial institutions, including this corporation, which says that 90 per cent of the investment in agriculture has been cornered by those who own more than 5 acres. I do not say a person who owns 5 acres is a kulak, but their number is very small. People owning less than 5 acres got only 10 per cent.

When we speak about the implementation of the new economic programme and our concern for the down-trodden, this is the opportunity to hear from the Government how they are going to rectify the serious mistakes committed by this corporation during the last 13 years

Another important failure which defeats the purpose of this corporation is its incapacity to utilise the resources made available to it. Dr. Hazari, Chairman of the Agriculture Refinance Corporation, says that this corporation never had any difficulty of money. But it had failed in meaningfully spending the money for the development of agriculture. These are the three major failures of the Corporation. I am not trying to minimise the assistance that was rendered by the Corporation. But these are the things which the Government should take note of and rectify.

For the information of the House, I would like to place certain facts about the spending and how it could not do justice to the backward areas. As I said, 90 per cent of the money was cornered by those who owned more than 5 acres of land. The tenth Report which was presented in 1963 says that the Southern, Western and Northern regions have cornered 83 per cent of the total investment of this Corporation. In the Central Zone which includes places like Madhya Pradesh which is a backward area and which definitely deserves more support from this Corporation, the spending was only 14 per cent. And still pathetic is the condition of the Eastern Region like West Bengal and Orissa. They got 4 per cent of the total spending of the Corporation. And, now, you go to the other States i.e. Nagaland, Tripura, Manipur, Meghalaya and the whole of the region beyond West Bengal, there the Corporation spent 0.5 per cent. From this, it is quite clear that the Corporation has failed in providing money to those backward regions for which the Government, the Reserve Bank and other agencies of the Government have allocated money. Whether this amendment would bring about a new change, I do not know, but I heard the Minister saying that it would visualise certain administrative changes or certain structural changes, if you say so. That means, there will be more offices in this country. But the problem is not of setting up more offices in this country and certainly, the problem is not of providing more money to this Corporation. But the problem is of spending this money in such a way that the backward areas and the backward sections of society could be helped. And there, unfortunately, I have to say that that Corporation has failed.

The latest official review which was presented in July, 1975, does not give a different story. It says: "34 per cent of the 660 schemes are for Northern, North-eastern areas like Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan and U.P." I do not know what it means. Instead of giving a clear-cut report about various sectors, this time they gave a kind of report from which you cannot make out anything. I hope, the Minister will clarify whether any money has been set apart for helping the backward regions and backward sections of the people.

[Shri C. K. Chandrappan]

Last time, when another amendment was brought forward by the Government, the hon. Minister then said that the Agricultural Refinance Corporation was meant to give money or grant schemes, and the States should send the schemes or the institutions should send the schemes. But that is a bureaucratic attitude. Shri Y. B. Chavan, who was the Finance Minister at that time said: "It is a highly sophisticated economics, infra-structure and so many things." But here, you are wearing the garb of the Minister to help those people to come up with schemes, so that those areas will be brought to the level of the advanced regions in the country. And then, Sir, several suggestions were made by Dr. Hazari for the improvement of the work of the Agricultural Refinance Corporation. I am not going to narrate all that which he had said; but he has placed certain important suggestions in regard to the future working of the Corporation. It is about the utilization of greater amount of groundwater. He has said that the Corporation should support more schemes in that sector. Another suggestion is that the extension service should be integrated with developmental activities. I think that this amendment, at least theoretically, seeks to do it; but practically, what are the steps that you are going to take to implement it? Then he says—I am quoting him:

> "Blind distribution of credit is of no use."

That is what the Corporation is doing. He wanted the proper utilization of credit. Has the Government got any scheme for it? If such proposals are made—apart from explaining the technical nature of the bill—it will be good. What is the Government visualizing to do, positively? In what manner is the Government going to act, so that the impact of the work of this Corporation will be felt by those people and those parts of the country which are traditionally backward, and even to-day are kept backward in spite of so many Plans and so many schemes and in spite of the existence of such big corporations? I hope that the Minister would explain, when she replies, why this happened, and what are the proposals before the Government to remedy it. One more, last word I would like to add. There should be more diversified projects. This refinance corporation should take up such projects in the agrarian sector. For example, it should take up schemes for reclamation of land. It should take up schemes to suport poultry and sheep-breeding as also proposals for dairy farms. It should take up such schemes which would be feasible and would help the development of backward areas. I hope the Minister would enlighten us, when she replies, about all these things. If these are all done and these major weaknesses are wiped out, then this Corporation will be able to do a little useful work for the country. While concluding, I once again would like to draw your attention to the fact that it failed so badly to help the most backward regions in the country. One of the purposes of the Corporation, when it was set up, was to do that; and secondly, it failed to help the most backward sections of the peasantry in the country. On the contrary, it helped, with 90 per cent of its investment, the big landlords in the country. That should be remedied. And then, the proper utilization of credit should be ensured, not a blind distribution of credit. I hope the Government will do some thing about it.

श्री शिवनाथ सिंह (झुनझुन) : अध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर री-फाइनेन्स कारपोरेशन में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं और इस बिल के अन्तर्गत "एण्ड डेवलपमेंट" शब्दों को भी री-फाइनेन्शिग के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद यह होगा कि एग्रीकल्चर

रीफाइनेन्श होगा और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी होगा। यह इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो देश की एग्रीकल्चर फील्ड में काफी तेजी ला सकता है। पिछले कुछ सालों से इस कारपोरेशन ने काम किया है और यह डाइरेक्टली काश्तकारों को लोन न देकर ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स को लोन देती है, जिसका एग्रीकल्चर से सम्बन्ध हो। एग्रीकल्चर के डैवलपमेंट से उनका काम हो यह भी सही है। इस प्रकार के कारपोरेशन डायरेक्टली किसी भी काश्तकार को, चाहे छोटा हो या बड़ा, लोन नहीं दे सकते। लेकिन इस कारपोरेशन को यह देखना पड़ेगा कि हम जो लोन सैंक्शन कर रहे हैं, क्या उसका ठीक तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है और वह मामला वाइड स्प्रेड है या नहीं ? एग्रीकल्चर के तमाम फील्ड को कवर करता है या नहीं ? अब तक इस कारपोरेशन को अहम बात हम अनुभव नहीं कर पाये हैं।

बहुत से देहात के क्षेत्र हैं, बहुत से प्रान्तों में ऐसे स्थान हैं, जहां कि एग्रीकल्चरल रिफाइनेंश कारपोरेशन का रुपया किसी भी इँस्टीट्यूशन की मार्फत नहीं लग पाया था, क्योंकि शुरु शुरु में उन्होंने यह रुपया बैंकों या को-आपरेटिव सोसायटीज के मार्फत देना स्वीकार किया था। उसके बाद धीरे-धीरे इसका स्कोप बढ़ा और जितने भी एरिया डैवलपमेंट के प्रोग्राम थे, उनको भी इस इंस्टीट्यूशन ने लोन देना शुरु किया। इस इँस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंस की कमी महसूस की गई और 25 करोड़ से 100 करोड़ तक का इसका वर्किंग कैपिटल बढ़ाये जाने की बात है। इस के साथ ही यह इँस्टीट्यूशन लोन ले सकती है, ग्रान्टस ले सकती है और यह इन्स्टीट्यूशन अपने आप रिसर्च भी कँडक्ट करायेगी। यह सब ऐसी आशायें हैं जिनके बारे में सोच लेना चाहिए। वास्तव में यह एग्रीकल्चरल डैवलपमेंट का काम करे। लेकिन हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल डैवलपमेंट का कितना बड़ा स्कोप है।

अभी मंत्री महोदया ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने एक सिफारिश की थी कि फोरेस्ट डैवलपमेंट का काम हो, चाहे सामूहिक हो या कम्यूनिटी फारेस्ट का काम हो सब इन्क्ल्यूड करने की चेष्टा करें। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जो डैवलपमेंट होगा वह भी एग्रीकल्चर का डैवलपमेंट ही है।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय कृषि आयोग ने खेती और खेती से सम्बन्धित छोटे-छोटे काश्तकारों, स्माल फार्मर्स के लिए भी एक बड़ा प्रोग्राम दिया है जो कि खास तौर से इस प्रकार का है कि जहां इन छोटे काश्तकारों के लिए ऋण की आवश्यकता हो वहां उनके लिए सर्विसेज एवेलेबल हों, उनका जो माल प्रोडयूस हो उसके लिए मार्केटिंग का स्थान हो। आज कोई भी इस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो इनके लिए इन चीजों की तरफ देखता हो। एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्श कारपोरेशन सीधे उनको लोन नहीं दे सकता है। लेकिन उनको देखना उसका फर्ज है। इस बदले हुए हालात में इस प्रकार के इँस्टीटयूशन का डवलपमेंट करायें। इस प्रकार के इँस्टीट्यूशन्स गांव में पैदा करें जिनको वह लोन दें और वह छोटे छोटे काश्तकारों को लोन देने का इँतजाम करे, मार्केटिंग का इन्तजाम करे और उनके लिए सभी सर्विसेज एवेलेबल करे। इस प्रकार के प्रोग्राम भी कारपोरेशन अपने हाथ में नहीं लेता है या स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत इस तरह की इँस्टीटूयशन्स डेवलप नहीं करता है तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट का नाम रख रहे हैं, वह सिर्फ नाम के लिए ही रह जायेगा, नाम जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। काम करने से फर्क पड़ता है।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां कि कारपोरेशन नहीं पहुँच पायी है। यह दुखद बात है, उसको पहुँचना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वह अपने जवाब में कहें कि पिछले सालों में जितना इसके पास वार्किंग कैपिटल था, जितना इसके पास रुपया था क्या वह उसको ठीक ढँग से

[श्री शिव नाथ सिंह]

लगा पायी है ? लेकिन वह इस रुपये को लोन नहीं कर पायी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब किस क्षेत्र में इसका डैवलपमेंट हो, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे है जो काफी डैवलप है और कुछ ऐसे हैं जो डैवलप्ड नही हैं जैसे डैजर्ट एरिया है। मैं निवेदन करूँगा कि डैजर्ट डैवलपमेंट के लिए भी कारपोरेशन बने। राजस्थान और मध्य प्रदेश और दूसरे प्रान्तों में भी ऐसे बहुत बडे भाग हैं जो डैजर्ट के नीचे आते हैं और वहां पर उसकी डवलपमेंट के प्रग्राम नही बनते हैं। इस तरह से वहां का काश्तकार पीछे रह जाता है और देश पर भार बन कर रहता है। वहां जब तक विकास नहीं होगा, उस एरिये का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का पूरा विकास नही हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय इस तरफ भी ध्यान दें।

राजस्थान में चम्बल एरिये के डैवलपमेंट का प्रोग्राम है, इस के लिए आप रुपया दे रहे है। ब्लाक लैवल पर भी कोई इस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इस तरह के काम कर सके। जो आप अभी तक कार्य कर रहे है, उसमें लोग आपके पास एप्रोच करते हैं लेकिन यह आपका कर्तव्य बन जाता है कि इस्टीट्यूशन खुद लोगों से एप्रोच करे, जो एजेन्सीज है वह एप्रोच करें और उनकी मार्फत डैवलपमेंट के प्रोग्राम बनाये तभी इसकी सार्थकता होगी।

मैं तीन-चार बातें खास तौर से कहना चाहता हूं। जैसे मंत्री जी ने कहा कि यह एमेंडमेंट इसमें है कि 25 करोड़ से 100 करोड रुपये का जो प्रावधान रखा गया है। शेयर्स कैपिटल के लिए इसमे काफी बड़ी रकम इस इंस्टीट्यूशन के पास आयेगी। लेकिन उसका उचित उपयोग हो, यूटिलाइजेशन ठीक हो इस ओर भी इस इंस्टीट्यूशन को देखना पड़ेगा।

बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते है जो कि एरिया के डैवलपमेंट के लिए अच्छे हैं। मैं अपने जिले की बात, प्रान्त की बात कह सकता हूँ। देहात में बिजली का विकास और प्रसार होना चाहिए। इसके लिए योजनाएँ आती हैं। देहात में कुँयें और नालियों का विकास होना चाहिए इस प्रकार की भी योजनायें आती है लेकिन फाइनेन्शियल कँट्रोल की वजह से, आपका डायरेक्ट इन योजनाओं को देखने का कोई साधन नही है इसलिए वह डेवलपमेंट का प्रोग्राम रुक जाता है।

राजस्थान के ईस्टर्न क्षेत्र के लिए जिला स्तर का एक प्रोग्राम बना था। अगर वह प्रोग्राम मंजूर हो जाता तो राजस्थान एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिसिएंट होता, लेकिन वह प्रग्राम किसी टैक्नीकल खामी की वजह से रुक गया। इस प्रकार की टैक्नीकल खामियों को दूर करने के लिए यह इस्टीट्यूशन अपने प्रोग्राम बनाये, अपनी मशीनरी कायम करे और किसी दूसरे पर निर्भर न करते हुए अपने आप इस काम को देखे तो इसका सही उपयोग हो सकता है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने बैकवर्ड एरियाज है उनको यह कारपोरेशन आगे बढ़ाये और वास्तव में कृषि का अच्छा विकास करने की उसकी क्षमता हो, इन्ही शब्दों के साथ, ज्यादा आशाओ के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): I welcome and support this Bill. As we are all aware, farmers are the backbone of the Indian economy. The farmers in India constitute 70 per cent of the population, but the farmer in India is born in debt, lives in debt and dies in debt; he also bequeaths debt to his children. That is the pitiable, very dangerous and helpless situation in which the farmer has been finding himself for a long time.

While the population increases in geometrical proportions, food production increases only in arithmetical progression. Therefore, to solve the unprecedented increase of population, we will have to support food production more and more and make more credit available to the farmers to produce more food. Only if they produce more food can we solve the food problem or food crisis in the country and also hope to reduce prices considerably in the economy, since the rural economy plays a vital role in our total economy.

We are now concerned with the Agricultural Refinance Corporation. I would like to ask some pertinent questions of the Government in this connection. Before we are going to refinance other institutions and other credit societies at State, district and taluka levels, are we satisfied or happy to see that we have financed the rural farmers and peasantry societies to their fullest satisfaction or to the minimum satisfaction? I can say that we have completely failed to satisfy the needy farmers in India.

I am speaking from my personal experience. I have toured 278 villages not only in my constituency in Madras but in many other places throughout the Madras State and other States also. Therefore, we must see under this Bill whether we are going to finance various banking institutions and credit institutions at the national and State levels. We must see the fundamental principles, rules and requirements of the farmers from top to bottom of the rural economy. You must take immediate steps to finance the farmers who are the backbone of India, who are badly in need of your credit, support and protection.

We have nationalised the banks. This nationalisation was carried out by the Government of India with the best of objectives. But, are you sure whether we have achieved all these objectives? We have achieved certain objectives. We admit that. But more than 50 per cent of the objectives or more than 65 per cent of the objectives are not achieved. Even now the banking institutions are controlled by the then bureaucratic administrators. You must introduce radical changes in the administrative affairs and day to day transactions of the various banks starting from the Reserve bank to the ordinary credit society. Otherwise, we cannot achieve the objective for which the banks had been nationalised in the recent past by the Government of India.

Regarding the credit to be given to the farmers in the rural area, I have received thousands of complaints from the farmers, that is, you have granted so many crores of rupees to the Government of Madras to give loan to the farmers for digging wells, for instance, or deepening old wells. The main objective is to grow more food to solve the food crisis. This is a very good step taken by the Government of India. The State Government received crores of rupees from the Central Government, but they were not utilized properly. I am not speaking against any political party. I am speaking the real truth and the real fact on behalf of the affected farmers. In Tamil Nadu loans are given to those persons who are supporting the DMK Government of the Ruling Party of Tamil Nadu; loans are given to those farmers who are able to support the DMK Party, not the common public, not the followers of Congress Party in the Centre, not the supporters of Anna DMK, not the supporters of CPI or any other party or neutral public. They are unable to get loan for digging new wells or deepening the old ones.

Then apart from the practical difficulties, we are facing another situation in Tamil Nadu. I am told that the Reserve Bank seems to have put some artificial and impracticable conditions for granting loans to various farmers in the rural area. If two farmers are having wells in a land within a distance of 850 ft. they are not entitled to get loan for either digging wells or deepening the old wells. Both the farmers are not entitled to any loan

[Shri K. Mayathevar]

for digging wells or deepening the old wells. This is the first condition

Regarding dry land, if two farmers are having two wells within distance of 480 ft., they are not eligible for getting loan for deepening the old wells or digging the new ones. Another miserable condition is that small farmers or medium farmers who are having 3 acres of land or less than 3 acres of land, are not entitled for this loan.

As you are very well aware, we are having 65 per cent of our rural population who are owning 3 acres of land or less than 3 acres of land. When you are not giving loan to those farmers who are owning less than 3 acres of land, you are cutting at the throat of the rural economy itself. Another very unfortunate condition put forward by the Reserve Bank in this respect is that if a farmer has not installed a pump set in his land or in his well, he is not entitled to get this loan. Therefore, these are the conditions which the farmers in Tamil Nadu and other States are facing.

Regarding the loan to be given for digging wells or for deepening the old wells, I requested the hon. Prime Minister of India, I represented this difficulty to the hon. Finance Minister, the hon. Agricultural Minister and the Government, to consider this matter sympathetically. But I do not know whether this matter has been considered favourably or not. I am much worried about the rural population and the helpless poor farmers. I request the Government a thousand times to consider this matter sympathetically, if they have not considered it so far. All these conditions have been imposed upon the poor farmers. Under these circumstances, I request the Government to take immediate and urgent steps for relaxing these conditions thereby enabling all the farmers to get loan for deepening the old wells or digging the new wells. Then only we can say that you have given some protection to the farmers under the rural economy.

Regarding agricultural debt relief to be given by the Central Government to the various State Governments, Shrimati Indira Gandhi, the Prime Minister of India, had announced 20 point economic programme. Among them, the only point which they have considered is that they have given relief for rural indebtedness to the farmers. Now the farmers are exempted from paying loans which they have taken from individual persons or independent creditors. Now, they need not pay back the loans borrowed from the private parties. I request the Government that most of the farmers are getting loans from the co-operative societies, Government institutions or land mortgage banks or some other banks or some other Government public sector institutions and public institutions. Therefore, I suggest one *via media* for giving protection to the farmers who are dying due to indebtedness since time immemorial.

Regarding the loans and indebtedness incurred by the farmers in the rural area, who are owning about 3 acres of wet land and 5 acres of dry land, those persons who are having less than 3 acres of dry land, should be given exemption not only from repayment of total loan borrowed from a private party, but they must be given total relief. This must be the only relief which you can give to the rural population, farmers and the peasants in India. As a result of this, you can accelerate the food production by protecting their interest. So far, it has not been done by any Government. This Government, under the leadership of the hon. Prime Minister, can earn a very good name and thereby enhance their influence among the masses throughout India. This is the only relief which the farmers and the peasants are expecting from the Government.

Then, I have been pleading for crop insurance policy. Not only myself but many great statesmen, leading politicians, leading Members of Parliament and even the Ministers have been

advocating for crop insurance policy. The crop insurance policy is very essential to safeguard the interests of the farmers. Since the rural economy is the backbone of our entire economy, I request the Government to introduce crop insurance policy as early as possible.

Also, I request that the Government of India should look into the matter of cattle insurance policy. Cattle is also our wealth. Next to crops, cattle wealth also plays a vital role in the Indian rural economy. Therefore, I request the hon. Minister and the Government to consider the question of cattle insurance policy to safeguard the interests of Indian rural economy.

In south, we are in need of water. Even to drink water we do not have sufficient water in Madras city as well as in Tamil Nadu. Recently, there was some rain but even upto yesterday, we did not have sufficient rains whereas in north we are having more than sufficient rains. North is affected by floods whereas south is affected by drought. To balance these natural calamities and imbalances in natural forces, I request on behalf of the people of Tamil Nadu as well as the whole of India that the Ganga-Cauvery system should be undertaken by the Central Government as early as possible. It should be implemented not only from the Ganga-Cauvery basin but it should be extended even upto Tamaraparni river in Tirunavelli district which will connect Vaigai river in Madurai district which will solve the water problems of Madurai, Ramnad, Tirunavelli and the whole of south. I request the Government to solve the flood and drought problems and famine conditions in the country. In south India, the Ganga-Cauvery project will solve every problem, including drought and famine problems.

With these words, I support the Bill.

श्री नाथू राम अहिरवार (टोकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से भू विकास बैंक काम करते चले आ रहे है। पहले लैंड मार्गेज बैंक कहलाते थे, अब उनका नाम लैण्ड डेवलपमेंट बैंक रख दिया है। लैण्ड-डैवलपमेंट बैंक जो जिलों में काम करते है उनका रिजर्व बैंक से या वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है। वहां से किसानों को कुंओं की मरम्मत के लिए और बिजली के पम्प लगाने के लिए पैसा दिया जाता है। पहली बात तो यह है कि 10 एकड़ भूमि असिंचित या 5 एकड़ सिंचित भूमि होनी चाहिए, कर्जा दिया जाता है। भूमि को सिंचित करने के लिए ही किसान कुंआ खोदना चाहता है। उसके पांच एकड़ भूमि सिंचित होगी कैसे जब तक कि वह कुआ खोदेगा नहीं। उन्ही लोगों को यह कर्जा दिया गया है जिनके पास ज्यादा जमीनें थी। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि ऐसे लोगों को कर्जा दिया गया है जिन्होंने अपनी जमीन मार्गेज की है, रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन वह ऐसी जमीन है जिस को कोई दो सौ रुपये में भी नही खरीदेगा। मैं अपने जिले के ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ पिछले तीन सालों में 167 लोगों को कर्जा मिला जिनमे 65 आदमी ऐसे थे जिन्होंने बिजली लगाने या कुओं के लिए प्रति व्यक्ति 8700 रुपया लिया परन्तु एक भी आदमी ने न तो कुंआ खुदवाया और न बिजली का पम्प लगवाया। उन्होंने उस पूरे पैसे का गलत इस्तेमाल किया—या तो उसको कर्ज में लगाया या अपने किसी निजी काम में लाये। दूसरी ओर जो गरीब किसान थे 5 एकड या उससे कम जोत वाले उनको कर्जा नही दिया गया। अब सरकार ने प्रावधान किया है कि 5 एकड़ से कम जोत वाले जो किसान हैं उनको भी कर्जा दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक परेशानी आ गई है कि कुंओं की मरम्मत के लिए पैसा दिया जाता है। हमारे टीकमगढ़ जिले में 67 हजार और छतरपुर जिले में 25 हजार ऐसे कुंयें हैं। रिजर्व बैंक और वर्ल्ड बैंक कहती है कि दो कुओं के बीच की दूरी एक हजार फीट से कम नहीं

[श्री नाथू राम अहिरवार]

होनी चाहिए और दूसरी ओर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है कि यह दूरी 5 सौ फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । ऐसी हालत में अगर कोई किसान कर्जा लेना चाहता है लैंड मार्गेज बैंक से तो कहा जाता है कि दो कुंओं की आपस की दूरी एक हजार फीट से कम है इसलिए कर्जा नहीं मिल सकता है और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है कि दूरी 5 सौ फीट से ज्यादा है इसलिए कर्जा नहीं मिल सकता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिल कर कोई ऐसा प्रावधान किया जाये कि अगर आपस में 5 सौ फीट से ज्यादा भी दूरी है तब भी कर्जा मिलना चाहिए ताकि किसानों को बिजली का पम्प लगाने में या कुंओं की मरम्मत में परेशानी न हो । सरकार का ध्यान इस ओर जरूर जाना चाहिए ।

छोटे किसानों के लिए सरकार कहती है कि उनको भी हम कर्जा देना चाहते है । हमारे टीकमगढ़ जिले में 1 लाख 6 हजार खातेदार हैं जिनमें 5 एकड़ से कम वाले 80 हजार हैं । जितना भी कर्जा बटा है वह केवल 18–19 प्रतिशत लोगों को ही मिला हैं और 80 प्रतिशत से अधिक छोटे किसानों को कोई कर्जा नहीं मिला है । यदि 5 एकड़ से कम वालों के लिए भी आप प्रावधान करते हैं तो 1 हजार फीट की दूरी और 5 सौ फीट से अधिक की दूरी की जो बंदिश है उसको हटाना पड़ेगा और तभी उनको लाभ मिल सकेगा । हमारे यहां योजना के अन्तर्गत बिजली की लाइन बिछ रही है । इसलिए सरकार को चाहिए कि जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको हटाये ताकि उन छोटे किसानों को कर्जा मिल सके ।

लैण्ड डैवलपमेंट बैंक के द्वारा जो कर्जा मिलता है उसका प्रोसीजर बहुत लम्बा है । 20 पेज का फार्म होता है ? जो बिना पढ़ा लिखा किसान है वह उसको लेकर कहा जाये किसी अर्जी नवीस के पास जाता है तो वह उससे 15-20 रुपये ले लेता है । पटवारी के पास जाये, कोआपरेटिव सोसाइटी में सर्टिफिकेट लगवाने, तहसील में सर्टिफिकेट लगवाने—इसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है । बाबू लोग उसको बहुत परेशान करते हैं, जब उसका 3–4 सौ रुपया खर्च हो जाता है तब कहीं उसकी दर्खास्त पेश होती है । उसको जो कर्ज मिलता है उसका चैक बैंक में जमा कर दिया जाता है । तीन किस्तों में उसको पेमेंट किया जाता है ? हर किस्त निकालने में बैंक वाले 2 सौ 3 सौ रुपया उससे ले लेते है । वह कहते है इतना पैसा तो तभी हम सर्टिफाई करेंगे । आपने लिखा है कि किसानों को जो पैसा लैंड डैवलपमेंट बैंक से बांटा जायेगा उसका आडिट होगा तो सेन्टर से रिजर्व बैंक के अफसर नियुक्त होने चाहिएं जो जिलों में जाकर वहां जो पैसा बंटा है उसका निरीक्षण करें और इस बात की पूरी जांच करें कि जो पैसा कुंओं की मरम्मत के लिए या बिजली का पम्प लगाने के लिए दिया गया है उसका सही सही उपयोग हुआ है या नहीं । मार्च के महीने में किसी किसान को 5 हजार रुपया मंजूर कर दिया तो वह उसको तीन, चार किस्तों में मिलता है । 3 हजार, 2 हजार और 1 हजार की किस्तों में उसको वह साल में पैसा दिया जाएगा लेकिन जो ब्याज है वह शुरू से ही लागू हो जाता है । इसलिये जो कर्ज उसको दिया जाये वह पूरा उसके खाते में जमा हो जाये और उसमें से वह निकालता रहे । अभी हर किस्त के लिए उसको लैंड डैवलपमेंट बैंक के पास जाना पड़ता है जहां पर उसको बार बार परेशान किया जाता है । बिना पढ़ा लिखा किसान क्या करे, कहां जाये उसकी समझ में नहीं आता । ऐसी स्थिति में जब सरकार चाहती है कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया जाता है उसमें उसका सही उपयोग हो तो इसके लिए उसको कड़ी निगरानी रखनी चाहिए । केन्द्र की तरफ से कोई एजेंसी होनी चाहिए जिसके द्वारा जिलों में लैंड

डेवलपमेंट बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का निरीक्षण किया जाये और देखा जाये कि रिजर्व बैंक ने जितना पैसा किसानों के लिए दिया है उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं ? इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

12.00 hrs.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Mr. Speaker, Sir, this Bill which has been brought forward can really help development in the agricultural sector because the capital that was earlier provided is now proposed to be increased to Rs. 100 crores. I would submit that the whole objective of agricultural refinance has now been changed by the words "and development". Hereafter, it seems, agricultural refinance is development-oriented. If the main objective is development, then I would submit that, in the rural areas, the sector that needs this assistance most is the small farmer. Uptil now, as has been pointed out just now, the major part of finance has been utilised by the big farmers; they do not even pay back the various loans they take from cooperative banks and land mortgage banks; the defaulters are only the big farmers. This is what is happening to our 'financing'. If you want that 'financing' should really be helpful in re-vitalising our rural economy, then the most important thing, I would beg to submit, is giving institutional assistance, assistance in kind, to the small farmers. Have agricultural service centres which should be financed. Now you have a provision in the Bill of giving even working capital. That is a good measure that has been brought. Finance these service institutions. The service institutions may have tractors and other inputs like fertilisers and seeds which they may give in kind to small farmers like those having five acres or three acres. Today even a pair of bullocks costs more than Rs. 2,000, and a small farmer cannot afford to have even a pair of bullocks. You may have tractors in the service centres, community tractors; you may have your own drivers, your own maintenance, servicing station and so on. The service centres may provide, what is called, client service, and these centres should be financed through Refinance Corporation. Give client service to the small farmers—inputs and so on—and later on, you may get repayment, if you like, even in kind or in whichever form you want, so that no burden is put on the small farmers, and may be, even in your procurement you may get assistance. Therefore, if we have a comprehensive plan to help the small farmers through Refinance Corporations, it will have a revolutionary effect in the rural areas.

There is another sector, the landless people. It is our policy in the 20-point economic programme to help the landless people. Can you not think of another kind of service units like poultry and dairy units to help the landless labourers? These are productive units. This is a productive assistance. You must have your own veterinary people, dairy experts, poultry experts and so on in the centre. By this you will give employment to agricultural graduates, you will give employment to young technical men, in the rural areas, at the block level. Then, these people will be able to help in the form of increasing the dairy and poultry production at the small, family unit. This is what I call real family planning or family development planning. If this is done at the lowest level, at the level of a family, then you will find real economic development. This is elementary economics. Without economic development of a family, even population control or family planning is not possible. Therefore, you should help in the economic development of the smallest unit, particularly of the landless labour, in terms of giving productive assets through the Refinance Corporations—by establishing service centres or units. Do not depend on only the market banks.

Your cooperative banks are nothing but a fraud today. Let me tell you

[Shri Vasant Sathe]

very frankly. I do not want to use harsh words, but we know all this. It is fraud in the sense that they are assisting the big farmers. It is only the big landlords who are the Chairmen and members of the boards of these cooperative banks and the land mortgage banks and they use most of the money; it never reaches the small farmer. Therefore, kindly take care that at least now, in the era of discipline, in the era of *Anushasan Parv*, as Vinobaji calls it, let us carry that discipline right to the grass root level. If you do this, you will be able to give real assistance to them.

There are big projects in the country like Chambal Valley Project, Rajasthan Canal Project etc., or in some desert areas, there may be reclamation projects, In such big projects, can we think in terms of a land army being established, all landless labour to work in these areas and later on to be rehabilitated in these areas when reclaimed. There are millions of unemployed people including some educated un-employed youngmen also. They can come and work in the form of land army on Chambal Valley Project or Rajasthan Canal Project. Uptil now, the thinking in bureaucracy has always been contractor-oriented. When you think of any project, immediately you work out the mathematics of it like so many contractors, so many labourers, this much will be the cost per labourer and so much overheads etc. Much of your expenditure is on overheads and through the contractors. Let us have this land army. This has been tried in other countries like Yugoslavia, China etc. But why should we name all these countries and take example from them. In the emergency era, can't we think of this, involve our youngmen and try this somewhere nearby.

We have tremendous manpower in this country; this is our biggest source. Can we not think of using our manpower for productive and developmental purposes on mass scale? This is another thought that I would like to place for your kind consideration. There are various schemes with the Government and they can be coordinated. If such a thing is done, I am sure, we will be able to achieve a great success.

As far as water resource utilization is concerned, when I see Prof. K. L. Rao here, I think of that Ganga-Cauvery link. It was approved by United Nations, but was given up here as an impracticable proposition for want of resources etc. I would beg of Government to consider it again. If manpower utilization is considered on a big way, I have no doubt that what Bhagirath could do ages ago, as told to us in our mythology, this modern Bhagirath can also do that in this era provided we have the will and the enthusiasm. There is no dearth of resources in this country. If we utilise all the manpower, and if we have the will, I have no doubt that we can carry Ganga to Cauvery. We had discussed this. The key point was that by joining the few miles from Brahamputra to Ganga, it could become easier. This is what we were told. The engineers can be consulted, but again we should have the will to do this. That is one point.

But, apart from these big things, as far as rural areas are concerned, when I said of input help, think in terms of helping in the form of having engineering service stations to build wells, to build tube-wells etc. Don't give money. If you give money for wells, it is often misused. Often it goes waste because that man has no sufficient use of it and it goes in between somewhere and all sorts of misuse take place. Therefore, servicing centres—clients' services we call—your engineers can have and let them say, 'We will dig a well for you' and whatever be the cost of the well, you take it from the farmer later on in kind or in some other form or take it collectively from a few farmers.

The last point I would like to submit is this. Can we not think of some form of consolidation of holdings? Again fragmentation of holdings is taking place even to-day. Although it does not come strictly within the framework of this agricultural refinancing, when we talk of development, we cannot think of it in isolation. This fragmentation of holdings is also a big handicap in rural development sector.

Therefore, these are the few points I wanted to place for the kind consideration of the Minister and I hope he takes note of them.

SHRI SAT PAL KAPUR (Patila): A very good speech. Quite relevant also.

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) माननीय स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन के सम्बन्ध में जो सशोधन लाया गया है, वास्तव में इसकी बहुत जरूरत थी। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती का सबसे ज्यादा महत्व है। यहां कुछ ऐसे मुद्दे खड़े हो गये थे, जिन की वजह से इसका अमेण्डमेन्ट करना जरूरी था। खास तौर से जब हम कृषि के क्षेत्र की बातें करते है, तो कृषि का क्षेत्र सिर्फ जमीन और पानी से पैदा होने वाली फसलों तक ही महदूद नहीं है, इसमें जानवरों से निकलने वाला धन, एनीमल हस्बैण्ड्री और फौरेस्ट्री भी शामिल है। हमारे कृषि आयोग में इन मुद्दों पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार हुआ और हमने कुछ सुझाव रिपोर्ट के रूप में सरकार के सामने रखे, एक तरह से फोरेस्ट्री के बारे में दो बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सरकार के सामने आई— एक थी—मैन-मेड फौरेस्ट और दूसरी थी— सोशल फौरेस्ट्री। आज तक फौरेस्ट्स के सम्बन्ध में हम जितना काम करते थे, कृषि पर खर्चा करते हुए प्लान की योजनाओं के मुताबिक ही हमें खर्च करना पड़ता था। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिये वह धन बिल्कुल नाकाफी था। इसी लिये इंस्टीच्यूशनल फाइनेन्सेज को ज्यादा से ज्यादा कृषि के क्षेत्र में उपयोग में ला सकें, इस दृष्टि से इस कारपोरेशन को शुरू किया गया था। जब इस कारपोरेशन को बनाया गया तो इसका उद्देश्य और काम करने का दायरा बहुत छोटा था, अब इसके दायरे को बड़ा किया जा रहा है। इसी लिये इस रिफाइनेन्स कारपोरेशन के साथ डवेलपमेन्ट शब्द को जोड़ा जा रहा है, ताकि उस शब्द के अन्तर्गत सारे कृषि के क्षेत्र के रिफाइनेन्स को इसके साथ जोड़ा जा सके। नाम बदलने के साथ साथ इसके कैपिटल को बढ़ाना भी बहुत जरूरी था, पहले इस का कैपिटल सिर्फ 25 करोड़ रुपया था जो अब बढ़ा कर 100 करोड़ रुपया किया जा रहा है और जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ेगी इस के धन को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने अभी मार्जिनल फार्मर्स, स्माल एण्ड लैंडलैस फार्मर्स का ज़िक्र किया। कई माननीय सदस्य उनके साथ इर्रिगेशन प्रोजैक्ट्स को भी जोड़ने की बात कर रहे थे। मैं ऐसा समझता हूं कि इस रिफाइनेन्स कारपोरेशन का जो असली मतलब है उसको हमारे कई माननीय सदस्य समझ नहीं पाये हैं। उन्होंने इसके बारे में कुछ गलत अन्दाजा लगा लिया है। यह संस्था किसी व्यक्ति विशेष या किसी इण्डीविजुअल फार्मर को फाइनेन्स नही करेगी। यह उन को फाइनेन्स करेगी जहां किसानों की बहुत सी कारपोरेशन बनी हुई है, डवेलपमेंटल एजेंसीज बनी हुई है और जो स्कीम्ज बना कर बायाबिल स्कीम्ज सरकार के सामने पेश करेगी। ऐसी संस्थायें बहुत सी जगहों पर बन चुकी हैं, बहुत सी जगहो पर बन रही हैं। जहां फौरेस्ट के लिये प्लांटेशन की जरूरत है, मैन-मेड फौरेस्ट की योजना को आगे चलाने के लिये, सोशल फौरेस्ट्री प्रोग्राम को आगे चलाने के लिये, जहां धन की जरूरत होगी, उनमें यह सहायता करेगी। एक तरह से इसका फाइनेन्सिंग डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली

[श्री नाथूराम मिर्धा]

फाइनेन्शल इंस्टीच्यूशन्ज का होता है। स्वयं रिजर्व बैंक और भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार जैसे पूंजी बढ़ाने की बात कही गई है, वहां इसका लाभ होगा।

इसलिये यह संशोधन एक अच्छा सशोधन है। इसके जरिये हमारे देश के बहुत से विकास के काम जो पहले ही इस कारपोरेशन के अधीन लिये जा सकते थे अब उनको तेजी से लिया जा सकेगा, इसी लिये इसकी पूजी बढ़ाने की बात कही गई है, इसका आब्जैक्टिव भी अब बड़ा हो गया है, इसलिये यह एक अच्छा काम हुआ है। अब लैंड मौर्टगेज बैंक के नाम को बदल कर लैंड डेवलपमेंट बैंक कहा जायगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स की बड़ी मात्रा में यह कारपोरेशन मदद करती है, फाइनेन्स करती है, उनके डिबेन्चर्स को खरीदने का काम करती है। यह लैंड डेवलपमेंट बैंक अल्टीमेटली काश्तकारों को लौंग टर्म और मीडियम टर्म लान्ज देने का काम करते है। कोआपरेटिव सैक्टर की मारफत जितने स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स की डेवलपमेन्टल एजेन्सीज है, लैंडलैस लेबरर्स की एजेन्सीज हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो पहले अलग अलग रूप में शुरू हुई थी, उनका भी अब इन्टीग्रेशन किया जा चुका है और जहां पर नहीं हुआ है, वह किया जाएगा और इनके फाइनेन्सिंग का काम अब यह कारपोरेशन करेगा। इन संस्थाओ का कार्य क्षेत्र अब काफ़ी बढ़ जायगा और ये अपनी स्कीम्ज बना कर अब एनीमल हस्बैण्ड्री और दूसरे कामों को भी कर सकेंगी।

एक मोटा चज इसमें यह हुआ है कि कोरपोरेशन को जो धन मन्जूर किया जायगा या गिफ्ट के रूप में कोई चीज दी जाय उसको इन्कम नहीं समझा जायगा। जो ग्रान्ट के रूप में उसको मिला है, उसको इन्कम मान कर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से एकाउन्ट्स का काम बढ़ा है, अब एकाउन्ट्स के काम पर ज्यादा लोग हिस्सा ले सकेंगे। रिसर्च के उपयोग के लिये जो काम करवाना चाहते हैं—अब यह कारपोरेशन उस काम को भी कर सकेगी। ऐसे बहुत से क्लैरीफिकेशन चेन्जेज हैं जो इस बिल में किये गये हैं।

मोटे तौर पर इस बिल को बहुत सोच-समझ कर और एक बड़े उद्देश्य को सामने रख कर लाया गया है। इसके द्वारा हमारे देश के कृषि के क्षेत्र के किसानों की बड़ी सेवा हो सकेगी। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि भविष्य में इसका विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो।

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून): अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हू। हमारे मिर्धा जी ने काफ़ी मुगालते को दूर करने का प्रयास किया है। यहा ऐसा सोचा जा रहा था कि गाव के किसानों की आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिये, जैसे वे प्राइवेट सूदखोरों से, साहूकारो से सूद की बड़ी ऊची रेट पर कर्जा लेकर अपनी जरूरियात को पूरा करते थे, उसका भी कुछ हल होगा। लेकिन नही। उन्होंने बताया कि यह इन्स्टीट्यूशन्स को ही देता है और व्यक्तिगत तरीके पर नही देता। अच्छा हो कोई इस तरह की कोरपोरेशन हो, या इसी का विस्तार हो जिससे किसानों को सीधे कर्ज मिल सके। आज गांवों की इकोनामी एक बहुत बड़ा बदल चाहती है। आज गांवो के अन्दर सूद की दर बहुत ऊंची है। हम लोग यहां पर 9, 12, 15 परसेंट सालाना की बात करते है लेकिन गावो में किसी को भी 3 प्रतिशत सैकड़ा महीने से कम पैसा कर्ज पर नहीं मिलता है, यानी 36 परसेंट से 144 परसेंट सालाना तक का सूद चलता है। अच्छा होता यदि आप इसका विस्तार उस तरफ़ कर देते। मैं चाहूंगा कि कोई इस तरह का कारपोरेशन बनना जरूर चाहिये ताकि जो मार्जिनल, छोटे किसान, लैंडलैस लोग

आज सूदखोरों के पंजे में पड़े हुए हैं उनसे उनकी निजात मिले और उनका भी विकास हो।

आपके इंस्टीट्यूशन्स किसानों को किस तरह से कर्ज देते हैं इसकी एक मिसाल अपने गांव की पेश करता हूं। पिछले दि ो कुछ काश्तकारों ने ब्लाक की मार्फत पम्पिंग सैट का इंजन लेने के लिये एप्लीकेशन दी। उसमें काफी समय लग जाता है क्योंकि प्रौसेस बहुत ही मुश्किल होता है, फार्म ऐसे होते हैं जिन को भरने वाले लोग चाहियें, जैसे बी० एन० डबलू० चाहिये, पटवारी चाहिये, तहसीलदार चाहिये जिस की वजह से दफ्तरो मे कही न कही 20. 25 परसेंट तक बटवारा हो ही जाता है। हमारे ऐसे हैल्पिंग हैंड होने चाहिये जो गरीब काश्तकारो को स्वयं फार्म भर कर दे और जो जरूरी बातें होती हैं उनको वह पूरा करायें। अभी तक कोई ऐसी एजेन्सी नही है जिसकी वजह से काश्तकार परेशान होकर रिश्वत देता है। जो पानी का इंजन नकद लेने मे 3,200 रु० का मिलता है वह किसानो को 3,700 रु० मे मिलता है। यानी 400, 500 रु० बैंक वालो को और फार्म वालो को चला गया। यह सवाल कई बार सदन मे उठा है कि इंस्टीट्यूशन्स के जरिये से जो इस तरह के यन्त्र खरीद कर दिये जाते हैं उनमे और बाजार की नगद रेट मे बहुत फर्क होता है। इस फर्क को मिटाना चाहिये।

इसके अलावा ऐसे इंस्टीट्यूशन्स बनाने की जरूरत है ताकि किसान जो प्रोडक्शन करता है, जिसके लिये आप सहायता भी देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के बाद मारकेटिंग की व्यवस्था भी यह इंस्टीट्यूशन्स करें। इस साल आप ने सुना कि कपास और गन्ना पैदा करने वाले मारे गये क्योंकि मारकेटिंग की समुचित व्यवस्था आपने नही की। गन्ने के बारे में आज हम किसान को मदद देने जा रहे हैं, उधर 70 करोड़ रु० किसानों का एक सीजन का मिल मालिकों पर बकाया पड़ा हुआ है। 34 करोड़ रु० यू० पी० में बकाया पड़ा हुआ है, और उसमें से साढ़े पांच करोड़ रु० अकेले सहारनपुर जिले में पड़ा हुआ है। 1971 से लेकर 1974 तक का बकाया लार्ड कृष्णा शुगर मिल पर पड़ा हुआ है। इस बारे में हम लिख भी चुके हैं, कृषि मन्त्री को लिखा, प्रधान मन्त्री को लिखा, और अपने मुख्य मन्त्री को भी लिखा। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी रही है तो उससे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप मारकेटिंग के लिये भी कोई कारपोरेशन बनायें जिससे किसानों का शोषण होना रुक सके। एक तरफ तो आप किसानों को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनकी पैदा की हुई जो कमाई पड़ी हुई है 1971 से वह उन को नहीं मिली है। तो इसको दिलाने की कोशिश कीजिये ताकि किसान को अपने गन्ने का पैसा ठीक से और समय पर मिल सके। आपने देखा कि इस साल आलू में किसान पिट गये। आयल सीड्स मे लोग पिट गये। अगर आप मारकेटिंग को भी इसमें शामिल कर ले तो कौरपोरेशन और अधिक प्रभावकारी साबित होगा।

मैं तो यही समझा था कि यह इस तरह का कौरपोरेशन बना है जो गांवों के किसानों की सारी इकोनामी को बदल कर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यह तो बहुत छोटी मात्रा में है, इसलिये इसका विस्तार होना चाहिये। मन्त्री जी यदि कोई ऐसा विधेयक लायेंगे तो सदन उसका स्वागत करेगा और देश के 70 फीसदी छोटे किसान उसका स्वागत करेंगे, और इससे इन लोगों की इकोनामी अच्छी हो सकेगी। आप जरूर इस तरह का कौरपोरेशन बनायें जो गांवों के गरीब किसानों को सुदखोरों के पंजे से छुटा सके और वह अपना विकास कर सकें। इस तरह की व्यवस्था आपको अवश्य करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): When will the Minister reply?

MR. SPEAKER: The Opposition sticks to the list which they give. But, the Congress Members do not stick to the list. That is the difficulty. The time that is fixed by the Speaker and the whole of the calculation of it goes wrong. After him, I shall ask the Minister to reply.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष जी, ऐग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कोरपोरेशन की 1973-74 की रिपोर्ट मैंने देखी। जब पिछले साल संशोधन किया था तो एक बात हुई थी कि जो रीजनल इम्बलेंसेज हैं उनको मिटाया जाय, और इस बात की काफी चर्चा हुई थी। लेकिन जब रिपोर्ट आज मैं पढ़ रहा हूं तो वही चीज फिर सामने आती है :

"Since inception, the largest beneficiaries are Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu".

राजस्थान का नाम ही नहीं है।

"Uttar Pradesh accounted for the largest share of Rs. 15 crores, followed by Maharashtra (Rs. 13 crores), Tamil Nadu (Rs. 11 crores excluding the transfer to IDA project) and Karnataka (Rs. 11 crores). Gujarat and Haryana received Rs. 8 crores each and Bihar and Madhya Pradesh Rs. 6 crores."

मैंने पहले भी कहा था जो आपने 400 करोड़ रु० डिसबर्स किया इस कारपोरेशन के जरिये उसमें तीन स्टेट्स का सबसे ज्यादा हिस्सा है—महाराष्ट्र गुजरात और तमिलनाडु। इसका क्या कारण है, और इसका क्या परपज है ?

मिर्धा साहब ने ठीक ही कहा कि जो बड़े बड़े कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स बने हुए हैं उनसे बड़े बड़े काश्तकार ही लाभ उठाते हैं और छोटे, मार्जिनल किसानों को उनका कोई लाभ नहीं मिलता। बड़े बड़े काश्तकारों को ट्रैक्टर और ट्यूब वैल के लिये लोन मिल जाता है। मैं आप के कुछ स्कीम्स के बारे में बताता हूं कि हरियाणा को 13 करोड़ रुपया मिला, राजस्थान को केवल 7 करोड़ मध्य प्रदेश को 61 करोड़ रुपया 1973-74 में दिया गया। इस कारपोरेशन का उद्देश्य यह जरूर है कि खेती का विकास हो, लेकिन छोटे काश्तकारों को, मार्जिनल फार्मर्स को, कर्ज नहीं दिया जाता। लेकिन इस एग्रीकल्चर री-फाइनेन्स कोर्पोरेशन से जो इंस्टीट्यूशन्स फाइनेन्स की जाती हैं, उसके अन्दर उन स्टेट्स को ज्यादा फायदा होता है जो मेंचिग ग्राण्ट्स दे सकती है। जिस स्टेट के अन्दर कन्ट्रीब्यूशन की ताकत है और जो स्टेट ज्यादा कन्ट्रीब्यूटन करती है, वह ज्यादा फायदा उठाती है और जो स्टेट्स ग़रीब हैं, उनको फायदा नही होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि रीजनल इम्बैलेंसेज को मिटाने के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए।

12.30 hrs.

[SHRI G. VISWANATHAN *in the Chair*]

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर अपने सुझाव रखे है और उन में से बहुत से सुझाव बहुत अच्छे हैं, जिन पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

जो दो तीन मुख्य बातें हमारे समक्ष आई हैं और जो पिछले साल भी कही गई थी और जिन पर पुनः हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया है. उन में सर्व प्रथम यह है कि रीजनेल इम्बैलेंसज हैं और राज्यों राज्यों के बीच में जो भेदभाव है, उस को किस प्रकार हम दूर करें। यह बात ठीक हैं कि आर्थिक विषमता अवश्य है। मान्यवर, यह चीज सब के सामने हैं और सर्वविदित है। इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार

प्रयास कर रही है और आगे भी बराबर प्रयास किये जायेंगे और इस प्रयास की गति भी जो इस वक्त मंद गति है, उसमें तीव्रता लाई जाएगी परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं चाहे बैंक राष्ट्रीयकरण से आप इसको शुरू करिए। हमारे बैंकों में जो लोग कार्य करते हैं उनकी क्षमता या उनकी शैली में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा बैंकों की शाखाओं को ग्रामों तक ले जाने की योजना है, उसके लिए धन की आवश्यकता है। इन सारी चीजों का सामंजस्य लेकर और सारी राज्य सरकारों को एक साथ बिठा कर कितनी योजनाएं बन सकती हैं, यह देखना होगा। बड़े किसानों के लिए या मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए और सब से महत्वपूर्ण जो हमारे छोटे किसान हैं या जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके लिए भी हम कोई योजना बना सकें, तो अच्छा होगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं और जितनी फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, इन सब को बैठा कर सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोआर्डिनेशन की बहुत जरूरत है और इसी के माध्यम से हमारी जो असमानता है, उस को दूर किया जा सकता है। परन्तु मुझे इस बात को अपने सहयोगियों से कहने में खुशी है कि पिछले वर्ष से कुछ इसमें प्रगति अवश्य हुई है। इसमें और प्रगति करने की आवश्यकता है और इसके लिए कुछ खास कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं और अन्य सारे राज्यों में चाहे वहां के मुख्य मंत्री हों या कृषि मंत्री हों या उनके विभागों में जो लोग कार्य कर रहे हों, उन्होंने योजनायें बनाई हैं और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कि लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, योजनाओं की संख्या बढ़ी है और आज उनकी संख्या टोटल मिला कर अन्य सारी योजनाओं की करीब-करीब एक-तिहाई हो गई है हालांकि इसमें अभी और तीव्रता लानी है। मैं यह जरूर कहूंगी कि पहले से सफलता अवश्य मिली है और इसके और बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि हमें लैंड रिफार्म्स तेजी से करने हैं और ग्राउण्ड वाटर स्कीमों पर भी तेजी से काम करना है इसके साथ-साथ राज्य सरकारों पर भी थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा।

मान्यवर, यह आपने देखा है कि जो आपके सामने यह बिल आया है, इससे पहले भी हमने कुछ परिवर्तन किये थे कि छोटे किसानों के लिए जो सैक्यूरिटी की बात थी उसको उसमें कुछ सुविधा दी जाए और उसके लिए वह वैव की जा सके ताकि उन छोटे-छोटे किसानों को जो एलाइड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, उनको कुछ सहूलियत मिल सके और पिछले सदन ने उसका बड़ी अच्छी तरह से स्वागत किया था। इस तरह से हमारे बीच में स्माल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स के लिए करीब सो योजनाएं हैं, जिनका मेरे पास ब्रेक-अप है। दो हजार योजनाओं में से 100 की संख्या कम है और हमारा प्रयास यह है कि इस संख्या को और अधिक बढ़ाया जाए। इस तरह से आर्थिक विषमता को दूर करने की आरम्भ कोशिश की गई है। कलकत्ता और अ.वहमक में जो दो केन्द्र स्थापित किये थे, एक ईस्टर्न रीजन के लिए और दूसरा नार्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए, उनसे काफी लाभ मिला है।

इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों ने वैल्यूयेशन के बारे में, यूटिलाइजेशन के बारे में भी सुझाव दिये हैं जो वास्तव में बहुत उचित ही हैं। जो धन जाता है कितना इस्तेमाल होता है, किस प्रकार होता है, उसमें कहां-कहां कमी है, हमारी नीति में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है या कहीं पर सामंजस्य की आवश्यकता है, इन सारी चीजों पर विचार करने के लिए एक इवल्यूशन सेल है, जो समय-समय पर इन चीजों को देखता रहता है। डाइवर्सीफिकेशन के बारे में भी बात कही गई। मेरे पास आंकड़े हैं और मेरा ख्याल है कि

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

जिन सदस्यों ने यह रिपोर्ट पढ़ी होगी, उन के सामने ये सारी चीजें आई होंगी। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों के सामने यह जरूर रखना चाहूंगी कि ए० आर० सी० ने जो कार्य किया है, उसकी सराहना इस बात से जाहिर होती है कि आई०डी०ए० ने जनरल लाइन आफ़ क्रेडिट पर विचार किया है और इसके लिए काफी धन का प्रावधान करने की योजना है। इससे यह प्रकट होता है कि ए० आर० सी० द्वारा जो कार्य किया गया है, वह अच्छा कार्य हुआ है और उसमें कार्य करने की बहुत क्षमता है। मुझे खुशी है कि सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया है और अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ जो नये सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत किये गये है, उन पर हम विचार करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration. There are no amendments to any of the Clauses. The question is:

"That clauses 2 to 15, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2 to 15, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed".

श्री राम हेड़ाऊ (रामटेक) : सभापति जी, कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाला जो संशोधन बिल सदन के सामने आया है, उस में काश्तकारों की सुविधा के लिए जो धन आज कृषि पर खर्च होता है, उस के विनियोग के लिए और कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग होना बहुत जरूरी है। वास्तव में आज तक कृषि के लिए जितना भी धन दिया गया है, सरकार द्वारा उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। बड़े चतुर काश्तकार जो है उन्होंने उसका अधिक फायदा उठाया और छोटे अज्ञानी काश्तकार जो है, उनको इस धन का कोई उपयोग नहीं मिला। इस धन का खेती के उत्पादन के लिए दुरुपयोग भी अधिक प्रमाण में हुआ है। धन जिस तादाद में बांटा गया है, उसका उचित उपयोग नहीं हुआ और खेती के अलावा दूसरे कामों में भी इसका दुरुपयोग हुआ है। इस चीज को रोकने के लिए इसमें एक सुधार आवश्यक है कि छोटे काश्तकारों को जो धन हम देते है इस धन के अलावा जैसा कि कुएं बनाने के लिए धन दिया जाता है, सरकारी यंत्र से कुए बना दिये जाए और बीज और खाद के लिए जो धन दिया जाता है, सरकारी यंत्र से बीज और खाद उपलब्ध कर दिया जाए और इतना ही नहीं मार्केट की भी व्यवस्था सरकार एक उचित ढंग से करे। इस तरह से छोटे काश्तकारों को राहत देने की व्यवस्था थोड़ी बहुत अनिवार्य है। छोटे किसानों को कई प्रकार की तकलीफें होती हैं। इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो करेंट सप्लाई करता है वह समय पर सप्लाई नहीं की जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी फसल सूख जाती है, उसको पानी समय पर नहीं दिया जाता है जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समय पर उसको जो भी सहायता है मिलनी चाहिये, पानी

बिजली आदि मिलनी चाहियें ताकि राष्ट्रीय धन जो खेती से निर्मित होता है उसका नव निर्माण के कामों में उपयोग हो सके ।

देश में बहुत से विभाग ऐसे हैं जो अविकसित हैं, कई राज्य या राज्यों के हिस्से ऐसे हैं जहां उपयुक्त भूमि होने के बावजूद भी उसका उचित ढंग से उपयोग नहीं हो पाया है । व्यक्तिगत साधनों से खेती का जितना विकास हो सकता है उसकी एक सीमा है और उस सीमा से बाहर व्यक्तिगत रूप से साधन नही जुटाये जा सकते हैं । सरकार द्वारा कुछ योजनायें जब तक कार्यान्वित नहीं की जाती हैं खेती का विकास होना संभव नही है । जैसे पानी की व्यवस्था, सिचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था तो सरकार को ही करनी होगी । कई विभागों की ओर से तो किसानों के साथ बड़ा अन्याय होता है । नदी, नाले आदि होने के बावजूद भी तालाब होने के बावजूद भी खेती के लिए पानी देने का प्रबन्ध उचित ढंग से नहीं किया जाता है । नदियों नालों का पानी व्यर्थ जा रहा होता है लेकिन उसको खेती के काम में लाने की योजना नहीं की जाती है । बांध-बांध कर ऐसे स्थानों पर खेती के वास्ते पानी दिलवाने में भी सरकार असमर्थ रही है । प्रादेशिक इम्बैलेंस जो हैं इनको हम दूर करें । देश के समुचित विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करें । अगर सरकारी तौर पर नदी नालों पर बांध-बांध कर उसका पानी खेतों में देने की व्यवस्था हम करें तो काफी उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती हैं ।

लैंडलेस लेबर और छोटे किसानों की तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा । ये लोग पूरे तौर पर खेती पर ही निर्भर करते हैं । खेती का काम साल में चार-पांच महीने तक ही चलता है । बाकी समय में वे लोग खाली रहते हैं, बेकार रहते हैं । यदि हमको उसकी आर्थिक दशा सुधारनी है तो खाली समय में उसको हमें कुछ काम देना होगा । इसके लिए पोलटरी फार्मिंग हो सकता है, जानवरों की संख्या बढ़ा कर उनकी देखभाल करने का काम इनको देना हो सकता है या घरेलू उद्योग हो सकते हैं, छोटे-छोटे उद्योग धंधे हो सकते हैं । गोबर का किस तरह से अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, यह अगर उनको बताया जाए तो उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है । इस पूंजी विनियोग से लाभ उठा कर छोटे कृषकों को, भूमिहीन खेती मजदूरों को अगर एडीशनल काम दिया जाएगा, उनको राहत पहुंचाई जाएगी तो इससे उनकी इनकम बढ़ेगी और सही मानों में आर्थिक विषमता दूर करने मे इस बिल का उपयोग हो सकेगा ।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : ये जो बैंक वगैरह बनाए गए हैं उन से आम तौर पर बड़े किसान ही फायदा उठाते हैं । मैं अपने जिले की बात जानता हूं । वहां जो सब से बड़ा किसान है उसने लगभग सत्तर हजार रुपया बैंक से लोन का लिया । अठारह साल हो गए हैं और उसने एक कौड़ी भी वापिस नही की और न ही उससे वसूल की गई है । जो छोटे काश्तकार होते हैं उनको बैंकों से पैसा नहीं मिलता है । बैंकों में फार्मेलिटीज इतनी होती हैं जिनको गरीब आदमी पूरा नहीं कर पाता है और जितना पैसा लेने वह जाता है उससे ज्यादा की उसको घुस देनी पड़ती है । आप उसके लिए आसानियां पैदा करें ताकि छोटा किसान आसानी से कर्ज पा सके । आम तौर से वह पढ़ा लिखा नही होता है, बैंकों के कायदे कानूनों को नहीं जानता हैं । वह बेचारा भटकता फिरता है लेकिन उसको कर्ज नहीं मिलता है । जो कर्ज सिंचाई के साधनों के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए या दूसरे कामों के लिए दिया जाता है मैं चाहूंगा कि वह फसलों को बंधक रख कर भी देने की व्यवस्था होनी चाहिये, जैसे गन्ना है या दूसरे अनाज हैं, उनकी फसलें हैं । बहुत से किसानों के पास जमानत नहीं होती है देने के लिए इस वास्ते उनकी फसलों के ऊपर कर्जा मिलना चाहिये ।

[श्री सरजू पांडे]

इस बिल में आप आमूल परिवर्तन करें ताकि बड़े किसानों को लाभ न मिल कर छोटे किसानों को इसका लाभ मिल सके। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा बिल लाए ताकि बड़े किसानों को कर्जे पाने से रोका जा सके और छोटे किसानों की ज्यादा सहायता हो सके।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I have nothing more to add.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.45 hrs.

ARREST OF MEMBER

MR. CHAIRMAN: I have to inform the House that the Speaker has received the following communication dated the 30th July, 1975 from the Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, New Delhi:—

"I have the honour to inform you that the Central Government found it their duty in exercise of the powers conferred by section 3(1) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, as amended by Ordinance No. 6 of 1975, to direct that Shrimati Gayatri Devi, Member, Lok Sabha, be detained with a view to preventing her from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

Shrimati Gayatri Devi was accordingly taken into custody at 4.00 P. M. on 30th July, 1975, and is at present lodged in the Tihar Jail, Delhi."

PROVIDENT FUNDS (AMENDMENT) BILL

12.48 hrs.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): beg to move:

"That the Bill further to amend the Provident Funds Act, 1925 be taken into consideration."

Rule 10 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 provides that if a pensioner, who immediately before his retirement was a member of Central Service Class I, wishes to accept any commercial employment before the expiry of two years from the date of his retirement, he should obtain the previous sanction of the President to such acceptance, and that no pension shall be payable to a pensioner who accepts a commercial employment without such sanction, in respect of any period for which he is so employed or such longer period as the President may direct. In the interests of purity of administration, it is proposed to impose similar restrictions, with suitable safeguards, in the case also of members of Central Civil Services Class I entitled to the benefits of a Contributory Provident Fund.

The salient features of the Bill are:

(i) A Central Government officer shall not have any right to Government contribution made to his credit in a Contributory Provident Fund if he takes up commercial employment at any time before the expiry of two years from the date of his retirement without the permission of the Central Government.

(ii) A Central Government retired officer shall apply in a prescribed application form for permission to take up commercial employment.